

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6831/2017/नागौर सुरजा राम बनाम छिगना राम	नम्बर व तारीख
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ</p> <p style="text-align: center;">श्री गणेश कुमार, सदस्य</p> <p>उपस्थित -</p> <p style="padding-left: 40px;">श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: right;">दिनांक 16.11.2021</p> <p>प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने ग्राम नेतडो की ढाणी स्थित आराजी खसरा नम्बर 360, 364, 373, 380 एवं 397 कुल रकबा 130 बीघा 07बिस्वा सहखातेदारी की भूमि बाबत् सहायक कलक्टर, डीडवाना के न्यायालय में मूल वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण छिगनाराम वगैराह के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 20-6-2012 से आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग का बैचान/हस्तान्तरण नहीं किये जाने बाबत् दोनों पक्षों को ताफैसला पाबन्द किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15-11-2017 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6831/2017/नागौर सुरजा राम बनाम छिगना राम	नम्बर व तारीख
	<p>हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बाहमी बंटवारा होना बिना किसी आधार के माना है। अकृषि कार्य व निर्माण रोकने हेतु कोई आदेश नहीं दिया है। प्रार्थी का वाद ही बंटवारा मीट्स व बाउण्डस् के आधार पर है, जिसमें अन्तिम निर्णय होना शेष है। अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि में प्रार्थी को उसके हक व हिस्से से वंचित करने के लिए अकृषि में परिवर्तित करने हेतु विशिष्ट खसरा नम्बर में कार्य प्रारम्भ कर दिया है, प्लॉट काट कर बेच रहे है, उसे रोका जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही भी हुई है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2010 आरबीजे (17) पेज 178 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय सही है। प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा व अधिकार होता है, वह अपने हिस्सा बेच सकता है। सहखातेदार होना प्रार्थी स्वयं मानता है। पूर्व में बंटवारा होने भी मानता है। केवल प्रार्थी सन् 1982 में बंटवारा कहते है, हम सन् 1970 में होना कहते है। सन् 1972 में तो रामूराम ही फौत हो गया था। अतः निगरानी खारिज की जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1999 आरएलडब्ल्यू (1) पेज 574 2. 1995 डीएनजे (राज.) पेज 15 3. 1996 डीएनजे (राज.) पेज 12 4. 1994 डीएनजे (राज.) पेज 93 5. 1998 आरआरडी पेज 353 6. 2007 आरआरडी पेज 587 7. 2008 आरआरडी पेज 762 8. 2006 आरआरटी (1) पेज 192 9. 1995 आरआरडी पेज 730 	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6831/2017/नागौर सुरजा राम बनाम छिगना राम	नम्बर व तारीख
	<p>हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, पारित निर्णयों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजियात में प्रत्येक का 1/4 - 1/4 हिस्सा व सहखातेदार होना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। बाहमी बंटवारा होना भी मानते हैं व मीट्स व बाउण्डस् पर बंटवारा होना शेष है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि मौके पर प्लॉटिंग करके भूमि का अकृषि कार्य के प्रयोग हेतु दुकाने बना कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। अतः उसे रोका जावे। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है और यदि एक विशिष्ट भू-भाग का बैचान किया जाता है तो वह विधि सम्मत् नहीं है। अपना हिस्सा (अंश) की सीमा तक कोई व्यक्ति अपनी भूमि का बैचान कर सकता है। मौजूदा प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट भू-भाग का बैचान नहीं करने व हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थाई व्यादेश जारी किया गया है और राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की है। जब विशिष्ट भू-भाग का बैचान / हस्तान्तरण करने पर ही रोक लगाने का आदेश जारी किया जा चुका है और यदि विवादित आराजी में से किसी विशिष्ट भू-भाग का दावा दायरी के बाद बैचान किया गया है तो उस पर निर्माण के लिए भी रोका जाना उचित है और यदि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पश्चात् विशिष्ट भू-भाग पर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वह इस आदेश के अध्याधीन ही रहेगा।</p> <p>अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कि यदि विवादित आराजी में से किसी विशिष्ट भू-भाग का दावा दायरी के बाद बैचान किया गया है तो उस पर निर्माण के लिए भी रोका जाना उचित है शेष चुनौतीग्रस्त आदेश उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-7-2018 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय 21-1-2020 की पुष्टि की जाती है।</p> <p>परिणामतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निस्तारित</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6831/2017/नागौर सुरजा राम बनाम छिगना राम	नम्बर व तारीख
	<p>की जाती है।</p> <p>निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(गणेश कुमार) सदस्य</p>	

